संख्या 891 / II–2008–03(17) / 08

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिचाई अनुभाग — देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2009

विषयः आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1385 / मु0अ0वि0 बजट / वि–1 सामान्य दिनांक 18.3.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के अनुसार संलग्न बी0एम–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.09 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के आयोजनेत्तर मद में संलग्न बी0एम0–15 के स्तम्भ–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा स्तम्भ–1 की बचतो से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1488 / XXVII-2/2009 दिनांक 27 मार्च, 09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

संख्या 891 / II–2008–03(17) / 08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मन्त्री जी को मन्त्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2008–09 अनुदान संख्या- 20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 1/09 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	7	8
2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशन 48–महगाई वेतन 32250	14025	5530	12695	2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशन 01–वेतन 78750	4000	82750	28250	48–महगाई वेतन मद में हो रही बचतों से छठे वेतन आयोग के क्रम में वेतन मद में धनराशि की आवश्यकता होने के कारण रू0 40.00 लाख का पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
योग 32250	14025	5530	12695	78750	4000	82750	28250	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस०एस०टोलिया)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
पत्रांक 1494(4)/(क)/XXVII(2)/2008
देहरादून दिनांक 27 मार्च, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 891/II-2008-03(17)/2008दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्त अनुभाग–2 ।
2. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।